कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी। पत्रांक 496 /12न दिनांक, मसूरी /0 –08–2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय :--

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई –11.425 किमी०) के निर्माण हेतु 9.194 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई सिंचाई खण्ड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:--

FP/UK/ROAD/13657/2015 dt. 02.07.2015.

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई —11.425 किमी०) के निर्माण हेतु 9.194 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्तावक /लो०नि०वि० द्वारा अपलोड आनलाईन प्रस्ताव को प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवष्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (०1) हार्ड एंव साफ्ट प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एंव प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि० 07—02—2015 से 12—02—2015 तक किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के 827 वृक्ष वाधित होने निहित है। जिसमें बाँज प्रजाति (आरक्षित वन भूमि —122 तथा निजी नाप भूमि — 24 कुल 146 वृक्ष सम्मिलित है, विवरण निम्नवत् है:—

क0 सं0	रेंज का नाम /प्रस्तावित सड़क के समरेखण में पड़ने वाली भूमि का प्रकार	वृक्षों की प्रजाति	प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों का व्यास वर्गवार विवरण								योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60		70-80	80 से ऊपर	
1	मसूरी /आरक्षित वन भूमि–1. मोटीधार कक्ष संख्या–2ए, 1ए, 1बी, एंव नाली कक्ष सं0–1 (प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की सं0 –705)	बॉज	16	65	28	13	0	0	0	0	122
2	सिविल सोयम भूमि ग्राम मझाड़ा (प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संo —07)	बॉज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कुषियाना चक एंव ग्राम नाली नाप भूमि(प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की सं0 —115)	बॉज	8	11	4	1	0	0	0	0	24
कुल र की 82	गोग :- (प्रभावित होने वाले कुल १७ वृक्षों की सं०)	ा वृक्षों	24	76	32	14	0	0	0	0	146

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का दि० 25-06-2015 एंव दि० 27-07-2015 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक—ः उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (०1) प्रति)।

भवदीय

(डा० धीरज पाण्डेय) प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन्सुभाग, मसूरी।

पत्रांक 496 /दिनांकित।

- प्रतिलिपि 1. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून, को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।
 - 2. वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य न होने दें।
 - 3. उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून),मसूरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एंव इस आशय साथ प्रेषित कि कृपया बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य न होने दें।

(डा० धीर्ल पाण्डेय) प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन स्थानाग, मसूरी।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, Irrigation Division, PIU P.M.G.S.Y. Dehradun, for "Construction of Sahastradhara (Karligad)-to Naliwala Motor Marg (Proposed Length- 11.425 K.M)" under FCA-1980 of 9.194 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of Sahastradhara (Karligad)-to Naliwala Motor Marg (Proposed Length- 11.425 K.M)". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 27.07.2015.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 8.627ha. + PF 0.00 ha.+CF 0.567 ha.) = 9.194 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endagered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

- c) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- d) AS such, recommendation is being provided.

Proposal is Recommended.

Name (Dr. Dheeraj Pandey) प्रमागीय वनाधिकारी Designation हम्मी कृत प्रमाग, समूती

Place - Mussoorie

Date - 27. 07.2015

Office Seal

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.